फर्द अहकाम

मैनादेवी बनाम मंगतूराम वगैरह

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड़

केस संख्या 38 / 2023 मु० प्रार्थना पत्र

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/9/23	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली – बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर / न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान / वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 25/10/23 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	40,41 9/10/23
25/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी / अपी० उपस्थित / अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 3/1/24 को पेश हो।	
3/1/24	[illegible] पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] / [illegible] उपस्थित / पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश / दौरे / मिटिंग / अन्य कार्य में व्यस्त [illegible]। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/3/24 को पेश हो। रीडर	
6/3/24	पत्रावली आज पेश हुई प्रकरण में आपत्ति लगाई गई प्रार्थीगण स्वयं या उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय एवं अधिकारी मीनाक्षणा के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय की मांग का जाहिर कर यह सुनिश्चित करा पर पेश किया गया है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने से यह वाद पत्र सारहीन / प्रभाव हीन हो गया है। अतः यह वाद पत्र वर्तमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण सारहीन / प्रभाव हीन होने से खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड की प्रति मिलवाई जावे प्रकरण फाइल डायरी होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	